...यालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

...रण सख्या : 203/2011

1. रामरतन
2. रामेश्वर
3. मुकुट बिहारी

पुत्रगण नन्दा जातियान मीणा निवासीगण सोकन्दा तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. दुर्गाशंकर
2. राजेन्द्र
3. श्याम

पुत्रगण भैरूलाल जातियान मीणा निवासीगण सोकन्दा तहसील मांगरोल जिला बारां

4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री दयाकृष्ण धाकड
वकी प्रतिवादीगण : श्री हरीश राजावत
दायरा दिनांकः 06.06.2011

निर्णय दिनांक : 31.08.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के शामलाती खाते की आराजी ग्राम सोकन्दा तहसील मांगरोल में खसरा नं0 8 रकबा 2.66 है, खसरा नं0 244 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 279 रकबा 0.24 है0 कुल किता 3 रकबा 3.05 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजी में खसरा नं0 244 रकबा 0.15 है0 भूमि विवादित भूमि है। वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नं0 244 रकबा 0.15 है0 भूमि का आम रास्ता जहा वादीगण निकलते है, एवं अपनी कृषि आराजी को काश्त आदि करते है, खसरा नं0 251 जो तालाब की पाल है में से निकलते है जो गैर मुमकिन तालाब की पाल है। प्रतिवादी कम 1 ता 3 उक्त आराजी खसरा नं0 244 रकबा 0.15 है0 को जबरन हांकना चाहता है। वादीगण एवं गांव वालो के समझाने के बावजूद भी प्रतिवादीगण नही माने एवं कहते रहे कि ऐसे नही हांकने दोगे तो जबरन हांक कर काश्त करेंगे। हकाई जुताई का समय होने के कारण प्रतिवादी कम 1 ता 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक हो गया है, अन्यथा प्रतिवादीगण लडाई झगडे पर आमादा है। अतः निवेदन है कि वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी गण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि खसरा नं0 251 व खसरा नं0 252 जो गैर मुमकिन तालाब व तालाब की पाल है, को जबरन नही हांके और ना ही वादीगण को खातेदारी की आराजी खसरा नं0 244 रकबा 0.15 है0 भूमि को क्षति पहुंचाये

रास्ता रोके। वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने दे, ऐसा कार्य ना तो स्वयं करें और न ही किसी प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 188 के तहत प्रकरण दिनांक 06.06.2011 दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हरीश राजावत ने दिनांक 16.01.2012 को वकालत नामा प्रस्तुत किया परन्तु कोई जवाब दावा प्रस्तुत नही किया। प्रकरण में प्रतिवादीगण कि ओर से जवाब दावा हेतु उचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी जवाब अप्राप्त होने से न्याय हित में दिनांक 14.06.2013 जवाब अवसर समाप्त किया जाकर दिनांक 16.03.2016 को वकील वादी द्वारा साक्ष्यवादी नही करवाने से साक्ष्यवादी बन्द किये गये। दिनांक 13.08.2018 को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गयी एवं पत्रावली में दिनांक 21.08.2018 को बहस सुनी गयी। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली में एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता श्री दया कृष्ण धाकड ने बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया है जिसका उनके द्वारा वाद पत्र में अंकन किया गया है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, अध्ययन व मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व सुनी गयी बहस के आधार पर ग्राम ग्राम सोकन्दा तहसील मांगरोल में स्थित आराजी खसरा नं0 251 व खसरा नं0 252 गै0 मुमकिन तालाब व तालाब की पाल है एवं खसरा नं0 244 रकबा 0.15 है0 भूमि वादीगण के खाते की भूमि है एवं उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण कम 1 ता 3 का किसी प्रकार से कोई हक नही बनता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 188 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी कम 1 ता 3 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम सोकन्दा की आराजी खसरा नं0 251 व खसरा नं0 252 गै0 मुमकिन तालाब व तालाब की पाल है एवं खसरा नं0 244 रकबा 0.15 है0 में किसी प्रकार की मदालखत व दलखअंदाजी ना तो स्वयं करने और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें व वादी की खाते की आराजी खसरा नं0 244 रकबा 0.15 है0 शांतीपूर्वक काश्त करने देवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन